न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 78 / 2022

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण

1.दीपाराम पुत्र भगाराम
2. डूंगराराम पुत्र भगाराम
3. मलाराम पुत्र गंगाराम
4. मूलाराम पुत्र गंगाराम
5.चिमनाराम पुत्र गंगाराम जातियान जाट निवासी करना तहसील सिणधरी

विप्रार्थीगण

1. हीराराम पुत्र राणाराम जाति मेगवाल निवासी करना
2. अकना पत्नि मूलाराम
3. उमाराम पुत्र देवाराम
4. गेनाराम पुत्र वालाराम
5. चूनीदेवी पुत्री मूलाराम
6. दमाराम पुत्र मूलाराम
7. दीपाराम पुत्र मूलाराम
8. धापूदेवी पत्नि देवाराम
9. नवलाराम पुत्र देवाराम
10. नानगाराम पुत्र देवाराम
11. प्रेमाराम पुत्र आसाराम
12. भीमाराम पुत्र देवाराम
13. मेहराराम पुत्र देवाराम
14. मानाराम पुत्र देवाराम
15. रावताराम पुत्र मूलाराम
16. सवाईराम पुत्र वालाराम जातियान सुथार निवासी करना
17. खींयाराम पुत्र जगराम
18. डालूराम पुत्र जगराम
19. तेजाराम पुत्र कुम्भाराम
20. तुलसाराम पुत्र देराजराम
21. नेनुदेवी पत्नि रायचंदराम
22. पेमाराम पुत्र हुकमाराम
23. पुरखाराम पुत्र जगराम
24. मंगलाराम पुत्र देराजराम
25. मेघाराम पुत्र भारमलराम
26. लक्ष्मणराम पुत्र रायचंदराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

27. लिखमाराम पुत्र देराजराम

28. वांकाराम पुत्र चौलाराम

29. सिणगारी पत्नि हुकमाराम

30. हेमाराम पुत्र हुकमाराम

31. टीकमाराम पुत्र तुलछाराम

32. रामुदेवी पत्नि हीराराम

33. जगमालराम पुत्र पदमाराम

34. दमाराम पुत्र जगमालराम जातियान जाट निवासी भाणा मगरा, करना तहसील सिणधरी

35. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 06.09.2022

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम करना पटवार हल्का करना तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 101 रकबा 4.3120 हैक्टयर व ग्राम भाणा मगरा पटवार मण्डल करना की खेत खसरा नम्बर 43/2 रकबा 8.0900 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार की मेड या सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण तथा विप्रार्थीगण के बीच पैदावार आदि को लेकर आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम करना पटवार हल्का करना तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 101 रकबा 4.3120 हैक्टयर व ग्राम भाणा मगरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

...वार मण्डल करना की खेत खसरा नम्बर 43/2 रकबा 8.0900 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम करना पटवार हल्का करना तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 101 रकबा 4.3120 हैक्टयर व ग्राम भाणा मगरा पटवार मण्डल करना की खेत खसरा नम्बर 43/2 रकबा 8.0900 हैक्टयर भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के चोतों के बीच किसी प्रकार कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण तथा विप्रार्थीगण के बीच पैदावार संबंधी खेतों के सेढ़ा को लेकर आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है तथा बरसात होने पर विप्रार्थीगण , प्रार्थीगण के उपरोक्त खेतों के सेढ़ा को जबरदस्ती तोड़ देते है और प्रार्थीगण की कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि पर काश्त हेतु जुताई एवं आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम करना पटवार हल्का करना तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 101 रकबा 4.3120 हैक्टयर व ग्राम भाणा मगरा पटवार मण्डल करना की खेत खसरा नम्बर 43/2 रकबा 8.0900 हैक्टयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.**हमनें** वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम करना पटवार हल्का करना तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 101 रकबा 4.3120 हैक्टयर व ग्राम भाणा मगरा पटवार मण्डल करना की खेत खसरा नम्बर 43/2 रकबा 8.0900 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण की सहखातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड सहखातेदार है,और रिकार्डड खातेदारान अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

...ा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी की जानी न्यायोचित प्रतीत होती है। ।

5. **लिहाजा** प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम करना पटवार हल्का करना तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 101 रकबा 4.3120 हैक्टयर व ग्राम भाणा मगरा पटवार मण्डल करना की खेत खसरा नम्बर 43/2 रकबा 8.0900 हैक्टयर भूमि के संबध में सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करे। सीमाज्ञान शुल्क प्रार्थीगण द्वारा नियमानुसार वहन किया जावेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(वीरमाराम)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 06.09.2022 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.09.23 11:26:53 IST
Reason: SelfAttested